

Upland

आदेश पत्रक
(दोनों अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

दिनांक 22/7/16 सा. चतुरी से तब 21/8/16
सं. 200

प्रकार १ अंश खारिज बाट सं. 320/16-17

श्री क. सं. क्रि.	आदेश और परामर्शकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर एी बई कार्रवाई के बारे में दिवानी, तारीख, स्थिति
	2	3

22/7/16

श्री रवि देवी पिता
 श्री मनी देवी सा. चतुरी
 अंचल देवरी जिन्ना गिरिडीह द्वारा निर्मांकित ब्योरे की
 जमीन के दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।
 आवेदित जमीन श्री कुलारी देवी
 पिता/श्री कृष्णसूर्य सिंह सा. चतुरी
 अंचल देवरी के वजहिये केवाला नं. 3963
 दिनांक 28/08/02 द्वारा क्रय किया गया है।
 ग्राम थाना नं. खाता नं. प्लॉट नं. रकबा

चतुरी 527 9 1048 0457

दिनांक 22/7/16
रवि देवी

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तिहार निर्गत करे।
हल्का राजारव कर्मचारी आवेदन पत्र का स्थानीय जाँच कर
जाँच प्रतिवेदन अं. नि. के माध्यम से उपस्थापित करे।
अभिलेख दिनांक 16/8/16 को उपस्थापित करे।

लेखापति

अंचल अधिकारी
देवरी

अंचल अधिकारी
देवरी

16/8/16

अभिलेख स्थापित किया गया। आप इसका विवरण देना
गया। तामिल प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी के कोई अपवाद नहीं
दिखा है। ह. कर्म / अं. नि. का बीच प्रतिवेदन देना। इन्होंने
प्रतिवेदन किया है कि प्रश्नगत जमीन रयती में छान / अन्वय
जात की है। जिसकी नपावरी पंजी 11 के फूट सं. 57/1
पर दर्ज है एवं विक्रेता के नाम श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती
के कायम है। जमीन भूदान भूदानवरी वन जमीन एवं संपत्ति में
बहर है। जमीन पर क्रेता का शांतिपूर्ण रखत है। अन्वयित
भूमि के नामांतरण हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः ह. कर्म एवं अं. नि. के बीच प्रतिवेदन के
आधार पर निर्णयित विवरण की भूमि का नामांतरण क्रेता

श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती श्री श्री/श्रीमती
क्रेता/प्रति श्री/श्रीमती श्री श्री/श्रीमती
के नाम से श्री/श्रीमती किया गया है।
क्रय/धर 3. छाता 3. लॉट 2. रकबा फल

पत्रों 9 1048 0430 100
527

संशोधित सहायक तदनुसार शुद्ध मात्र निम्न के

तंजनापति

L
अंशक अधिकारी
देवरी

L
अंशक अधिकारी
देवरी

शुद्धि पर निवेदन किया गया : इसका सर्वाधिकारी एवं
सजाह के अन्तर अनुपालन प्रतिवेदन दे।

L
अंशक अधिकारी
देवरी

एक प्रति प्राप्त किया।
B. S.